

कार्यालय, नियंत्रक नाप-तौल मध्यप्रदेश, भोपाल

होशंगाबाद रोड़, गायत्री मंदिर के पास, भोपाल पिन - 462011
Tel. 0755-2551017 Fax- 0755-2768638 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्र० ५५५५ /नातौ/अ-1(1)/EoDB/2017

भोपाल, दिनांक: 28 /07/2017

प्रति,

अनिवार्य
आवश्यक

1. समस्त निरीक्षक,
नाप-तौल, मध्यप्रदेश
2. समस्त उप नियंत्रक,
नाप-तौल, मध्यप्रदेश
3. समस्त सहायक नियंत्रक,
नाप-तौल, मध्यप्रदेश

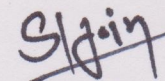
विषय :- निरीक्षण रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर मुख्यालय भेजने के संबंध में।

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार किये जा रहे सभी निरीक्षणों जिनमें निर्माता, विक्रेता एवं सुधारक अनुज्ञप्तिधारियों के किये जाने वाले निरीक्षण भी है की रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर विभाग को उपलब्ध कराना है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा किये जा रहे निरीक्षणों की रिपोर्ट का निरीक्षण करने के उपरांत 48 घंटे के भीतर निम्नानुसार फॉर्मेट एवं साईज में स्केन कर मुख्यालय को ऑनलाईन प्रेषित करना है -

1. निरीक्षण रिपोर्ट को 100 dpi पर pdf formate में स्केन करना।
2. निरीक्षण रिपोर्ट का नाम Insp_(Inspection no) (Inspection Date) (month) (year) (Inspector name in short) (Distt.) देना है।
(उदाहरण Insp5622072017KKBBPL)
3. अनुज्ञप्तियों की निरीक्षण रिपोर्ट स्केन करने के पश्चात फाईल का नाम InsoL (year) (Date) (ML/DL/RL) (licence no) देना है।
4. एक A4 पेज की साईज लगभग 100 Kb एवं दो A4 पेज की साईज लगभग 200 Kb के अंदर रखना है इसी प्रकार प्रत्येक पेज का साईज लगभग 100 Kb के लगभग रखना है।
5. निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यदि जप्ती होती है तो जप्ती मेमों की कॉपी भी स्केन कर भेजना है।



(एस.के. जैन)
नियंत्रक
नाप-तौल
म.प्र. भोपाल